मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 5/04/2021

क्रमांक एफ 2–5/2021/सात/शा.–7 – राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–2/2020/सात–6 दिनांक 30.05.2020 द्वारा, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक डी.ओ नम्बर एम–11015/108/2020–ई पंचायत दिनांक 22.04.2020 के अनुक्रम में, स्वामित्व योजना जारी की गई है। उक्त पत्र के साथ **"ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका"** जारी की गई है।

2/ राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी भूमि के धारकों के प्रमाण पत्र पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम दर्ज किए जाएं। अतएव **"ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका"** में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् –

(1) **पद क्रमांक 4 द्वितीय चरण** : सर्वे की कार्यवाही के पद क्रमांक 4.3.2 के बिन्दु क्रमांक 3 में शब्द "अधिभोगी परिवार के मुखिया का नाम" के स्थान पर शब्द "अधिभोगी परिवार के मुखिया का नाम और यदि ऐसा मुखिया पुरूष एवं विवाहित हो तो उसके साथ उसकी पत्नि का नाम" प्रतिस्थापित किये जाएं;

(2) **पद क्रमांक 4 द्वितीय चरण** : सर्वे की कार्यवाही के पद क्रमांक 4.3.2 के बिन्दु क्रमांक 6 में शब्द "प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम" के पश्चात् "और यदि मुखिया पुरूष एवं विवाहित हैं तो उसके साथ उनकी पत्नि के नाम" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(3) **परिशिष्ट–9 में–**

(क) परिस्थिति 01 में शब्द "परिवार के मुखिया का नाम" के पश्चात् "और यदि मुखिया पुरूष एवं विवाहित है तो मुखिया एवं उसकी पत्नि का नाम" अन्तःस्थापित किया जाए तथा उसके नीचे दिए गए उदाहरण के स्थान पर निम्नानुसार उदाहरण प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्–

"उदाहरण 01 – प्लॉट नम्बर 2001, राहुल पुत्र राजेश एवं सीता पत्नि राहुल"

(ख) परिस्थिति 02 में शब्द "प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम एवं हिस्सा" के स्थान पर "प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम और यदि मुखिया पुरूष एवं

3/4/2021

विवाहित हैं तो ऐसे प्रत्येक पुरूष मुखिया और उनकी पत्नि के नाम एवं यथास्थिति प्रत्येक मुखिया तथा विवाहित पुरूष मुखिया व उनकी पत्नि के संयुक्त रूप से हिस्से'' प्रतिस्थापित किये जाएं तथा उसके नीचे दिए गए उदाहरण के स्थान पर निम्नानुसार उदाहरण प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्–

''उदाहरण 02 – प्लॉट नम्बर 2001, (1) सीता पत्नि राहुल हिस्सा 1/3, (2) रवि पुत्र राजेश एवं गीता पत्नि रवि हिस्सा 1/3, (3) वीरेन्द्र पुत्र राजेश (अविवाहित) हिस्सा 1/3''

(ग) परिस्थिति 03 में नीचे दिए गए उदाहरण के स्थान पर निम्नानुसार उदाहरण प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात–

''उदाहरण 03 – प्लॉट नम्बर 1000/1, राहुल पुत्र राजेश एवं सीता पत्नि राहुल प्लॉट नम्बर 1000/2, रवि पुत्र राजेश एवं गीता पत्नि रवि''

(घ) परिस्थिति 04 में शब्द ''परिवारों के मुखिया का नाम'' के स्थान पर ''समस्त परिवारों के मुखियाओं और यदि वे विवाहित पुरूष हैं तो प्रत्येक मुखिया एवं उसकी पत्नि का नाम'' प्रतिस्थापित किये जाएं तथा उसके नीचे दिए गए उदाहरण के स्थान पर निम्नानुसार उदाहरण प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्–

''उदाहरण 04 – प्लॉट नम्बर 1005, (1) सीता पत्नि राहुल हिस्सा 1/3, (2) रवि पुत्र राजेश एवं गीता पत्नि रवि हिस्सा 1/3, (3) अतुल पुत्र ज्ञानी एवं मीरा पत्नि अतुल हिस्सा 1/3''।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

3/4/2021
(मुजीबुर्रहमान खान)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-5/2021/सात/शा.7

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जबलपुर।

3/4/2021

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग